**मांग संख्या 80**

**मुख्य शीर्ष 2202**

**मद कमांक 1-2**

सर्वशिक्षा अभियान के राज्यांश हेतु रूपये 925.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु रूपये 9,25,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद कमांक 3**

राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार शिक्षाकर्मियों के वेतनमानों में संशोधन होने के फलस्वरूप वेतन भत्तों के भुगतान हेतु रूपये 1767.38 लाख के अतिरिक्त व्यय की संभावना है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु रूपये 17,67,38,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद कमांक 4**

पूर्व माध्यमिक शाला मानिकचौरी जिला रायपुर को हाई स्कूल में उन्नययन करने तथा ग्राम सुहेला (सिमगा) जिला रायपुर में हाई स्कूल प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है । शिक्षा कर्मियों के मानदेय के लिये रूपये 7.04 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से की जावेगी । पदो का विवरण निम्नानुसार है:-

| क. | पदनाम | वेतनमान | पद संख्या | |
|---|---|---|---|---|
| | | | मानिकचौरी | सुहेला |
| 1. | शिक्षा कर्मी वर्ग-2 | 3250-4450 | 07 | 07 |
| 2. | शिक्षा कर्मी वर्ग-3 | 2700-3700 | 01 | 01 |
| | | **योग-** | **08** | **08** |

अत: इस प्रयोजन हेतु रूपये 200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मुख्य शीर्ष 2405**

**मद कमांक 5**

राज्य शासन के निर्णयानुसार मत्स्य महासंघ के स्थापना व्यय हेतु राशि रूपये 20.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु रूपये 20,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मुख्य शीर्ष 2515**

**मद कमांक 6**

राज्य शासन द्वारा जिला पंचायतों के अध्यक्षों को बदलाव योजना अंतर्गत वाहन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है इस हेतु 16 वाहनों के कय पर रूपये 100.00 लाख के व्यय का अनुमान है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु रूपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद कमांक 7**

राज्य शासन द्वारा ग्यारहवें वित्त आयोग की सहायता से बनने वाले 285 आंगनबाड़ियों के भवन निर्माण के शेष कार्य हेतु राज्यांश के रूप में रूपये 106.00 लाख के अतिरिक्त प्रावधान उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु रूपये 1,06,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद कमांक 8**

राज्य शासन द्वारा सचिवीय व्यवस्था के अंतर्गत पंचायत कर्मियों के वेतन हेतु रूपये 67.04 लाख का अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु रूपये 67,04,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।